न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12 / 41 / 2019

अपीलार्थीः–
सुभाष तिवाडी, पुत्र स्व0 बिहारी लाल
राजपूत कालौनी कठूमर रोड लक्ष्मनगढ
जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदने अतिरिक्त जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––   दिनांकः– **06.08.2019**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 25.03.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं पर बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 25.06..2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
   पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का जवाब पत्राक 1176 दिनांक 25.7.19 से भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 06.08.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर,अलवर